आ.व. २०80/081 को लागि यसएकार्इ अन्तर्गत लमजुङ जिल्लाको लागि अलैंची, तरकारी र मौरी वाली/वस्तु र मनाङ जिल्लाको लागि स्याउ र आलु वाली/वस्तुमा जोन विकास कार्यक्रम संचालन हुने हुंदा सम्वन्धीत वाली/वस्तुको जोन कमाण्ड क्षेत्रभित्र तपसिलका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने भएकाले यस परियोजना कार्यान्वयन एकार्इ, लमजुङ (मनाङ)मा सुचिकृत भएका कमाण्ड क्षेत्रका इच्छुक कृषि समूह/सहकारी/संस्था/ समितिर कृषि फर्महरुले आवश्यक कागजात संग्लन राखी **मिति २०80/06/30 गते कार्यालय समय भित्र**यस परियोजना कार्यान्वयन एकार्इको कार्यालय लमजुङ वा जोन प्राविधिक एकार्इको कार्यालय मनाङमा तोकिएको ढाँचा अनुसार निवेदन/आवेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ।साथै सुचिकृत हुन बाँकी रहेकाहरुले उक्त समय सीमा भित्रै सुचिकृत भै कार्यक्रम माग गर्नहुन अनुरोध छ ।

🕿066-520476

🖂[pmamp.piu.lamjung@gmail.com](mailto:pmamp.piu.lamjung@gmail.com)

piulamjung.pmamp.gov.np





**तपसिल**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यक्रम संख्या | वार्षिक विनियोजित रकम  (रु लाखमा) | कैफियत |
| **लमजुङ र मनाङ दुवै जिल्लामा संचालित सबै जोन क्षेत्रबाट आवेदन दिन सकिने** | | | |  |
| 1 | जोन संचालित बालि/वस्तुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम | 3 | 15 |  |
| 2 | जोन संचालित बालि/वस्तुका लागि प्राङ्गारीक मल, जैविक मल तथा जाइम लगायत सामाग्रीहरुमा सहयोग | 2 | 10 |
| 3 | जोन संचालित बालि/वस्तुको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ,बजारिकरण तथा ढुवानीमा सहयोग | 3 | 6 |
| 4 | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | 2 | 34 |
| 5 | सिंचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत संभार | 15 | 45 |
| 6 | साना तथा मझौला सिंचार्इ सहयोग (मर्मत समेत) | २० | 40 |
| 7 | चक्लावन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग | ३ | 30 |
| 8 | प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायीक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान | 1 | 6 |
| 9 | सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकार्इ तथा प्रदर्शनी केन्द्र | 4 | 16 |
| 10 | कृषि वजार भण्डारण पुर्वाधार वा प्राथामिक प्रशोधन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना | 3 | 30 |
| **अलैंचीजोनमा सुचिकृतहरुले आवेदन दिन सकिने** | | | |
| 11 | पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम(ड्रायर/प्याकेजिङ/डिजिटल कांटा) | 2 | 13 |
| 12 | विगतमा वितरण भएका भट्टीहरुको सुदृढिकरण | 2 | 9.2 |
| 13 | पुरानो वगैंचा व्यवस्थापन अभियान | 2.5 | 5 |
| **तरकारी जोनमा सुचिकृतहरुले आवेदन दिन सकिने** | | | |
| 14 | तरकारी नर्सरी हटवेड तथा सामाग्रीहरुमा सहयोग | 2 |  |
| 15 | तरकारी स्थाइ टनेल घर निर्माण तथा पुरानो टनेलको मर्मत संभार कार्यक्रम (तरकारी जोन) | 2 | 36 |
| **मौरी जोनमा सुचिकृतहरुले आवेदन दिन सकिने** | | |  |
| 16 | विगतमा निर्मित मह प्रशोधन केन्द्रको सुदृढिकरण सहयोग (मौरी जोन) | १ | 7.96 |
| 17 | व्यवसायिक मौरी फर्म तथा उद्योगहरुका लागि मह तथा मौरी सामाग्री संकलन कक्ष निर्माणमा सहयोग (मौरी जोन) | 2 | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १8 | मौरी चरन क्षेत्र स्थापना व्यवस्थापन विस्तार कार्यक्रम | 2 | 8 |  |
| 19 | मौरी घार तथा गोलामा अनुदान | 2 | 36 |
| २0 | मौरी सामाग्री तथा वजारीकरण सहयोग | 2 | 12.64 |
| **आलुजोनमा सुचिकृतहरुले आवेदन दिन सकिने** | | | |
| 21 | विउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम | 1 | 5 |
| **स्याउजोनमा सुचिकृतहरुले आवेदन दिन सकिने** | | | |
| 22 | बगैंचा काँटछाट तथा व्यवस्थापन | 2 | 9 |
| 23 | स्याउको लागि ट्रेलिसिङ सहयोग | 2 | 16 |
| 24 | पोष्‍ट हार्भेष्‍ट सेन्टर स्थापना सहयोग | 1 | 10 |

**निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः**

* सम्बन्धित निकायमा कृषि समूह/सहकारी/संस्था/समितिर कृषि फर्म दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, अघिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र समुह/सहकारीको हकमा अडिट रिपोट/प्रतिवेदन।
* परियोजनाबाट निर्दिष्ट ढांचाको पुर्ण रुपले भरीएको प्रस्तावना/आवेदन फारम।
* कार्यक्रममा दोहोरोपना नभएको/नहुने र छनौटका लागि उपयुक्त रहेको व्यहोरा खुलेको सम्वन्धीत स्थानिय तह/ कृषि शाखाको सिफारीस पत्र।
* कार्यक्रम संचालन हुने स्थान/क्षेत्रहरुको(जग्गा/जमीन) को स्वामित्व खुल्ने कागजातको विवरण वा भाडाको जग्गा भएमा कम्तिमा ५ देखि १० बर्षको सम्झौतापत्र।
* संस्थामा आवद्द सदस्यहरु/आवेदकको नागरीकता वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
* समुह/सहकारी/साझेदारी संस्थाको हकमा कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि।

***नोट:-*** *कार्यविधि संशोधन भएको खण्डमा संशोधित कार्याविधि अनुसारनै अनुदान प्रदान गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। कार्यान्वयनको क्रममा वाधा अड्चन श्रृजना भएका कार्यक्रम रद्द गर्ने सर्वाधिकार कार्यालयमा निहित रहनेछ। साधारणतया कार्यक्रमहरु साना मेशीनरी, उत्पादन सामग्री आदिमा बढीमा ५०% अनुदान तथा साना सिंचाइ तथा पूर्वाधार निर्माण तर्फ बढीमा ८५% सम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।*

***पुनश्च:-****माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु* परियोजना कार्यान्वयन म्यानुल-२०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार मात्र संचालन हुनेछ । उल्लेखित मिति भित्र आवश्यक कागजात र प्रकृया नपुगेका आवेदनहरु माथि कुनै प्रकृया अघि बढ्ने छैन । *कार्यक्रम सम्वन्धी प्रस्तावना/आवेदन फारम तथा कार्याविधि कार्यालयको वेवसाइट* [*piulamjung.pmamp.gov.np*](http://www.pmamp.gov.np)*बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। कार्यक्रम सम्वन्धी थप जानाकारीका लागि कार्यालयको फोन नं. 066521476, 9856046780 (लमजुङ जिल्लाको लागि) ,9856049213 (मनाङ जिल्लाको लागि )मा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ ।*

.................

**(अजय अधिकारी)**

**वरिष्ठ कृषि अधिकृत**